



# फतेहगढ़ पुलिस



थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम, 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS एवं मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आमर्स एक्ट में नामजद/वांछित 01 अभियुक्त को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS व मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना जहानगंज, जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त मो० नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर को 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतस 12 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार अभियक्त का नाम व पता:-

1. मो० नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 32 वर्ष ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 09.10.2024 की रात्रि को प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल मय हमराही हे0का0 468 सुनील कुमार व का0 463 सोनू समय करीब 00.10 बजे ग्राम जैतपुर के पास पहुँचे जहाँ पर एक कन्टेनर बन्द बाड़ी वाहन सं0 UP21 CT 0922 में 25 राशि बैल लदे हुये थे। उक्त प्रकरण में तत्काल वादी उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल चौकी प्रभारी राजपूताना की तहरीर के आधार पर थाना जहानगंज पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित 06 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था जिसमें अभियुक्त उवैश पुत्र सलीम निवासी ग्राम नंगलिया थाना अजीमनगर जनपद रामपुर घायल अवस्था में है जिसका डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फरुखाबाद में इलाज चल रहा है। विवेचना के क्रम में दिनांक 12.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्त मो0 नसीम पुत्र दिलावर निवासी मरहैया थाना कांट जनपद शाहजहांपुर को वाहिदपुर मजार के पास से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यावही की जा रही है।

### **अभियुक्त मो0 नसीम पुत्र दिलावर का आपराधिक इतिहास :-**

- मु0अ0स0 198/24 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
- मु0अ0सं0 199/24 धारा 109(1) BNS (पु0मु0) व 3/25/27 आमर्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
- मु0अ0सं0 202/2024 धारा 3/25 आमर्स एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।
- मु0अ0स0 381/2022 धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कासिमपुर जनपद हरदोई।
- मु0अ0स0 474/2022 धारा 11(1)(d) पशु क्रुरता अधि0 तथा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना माल्लवां जनपद हरदोई।

### **बरामदगी का विवरण :-**

- 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज।

### **गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम :-**

- उ0नि0 श्री जितेन्द्र पटेल थानाध्यक्ष जहानगंज
- उ0नि0 श्री अच्छेलाल पाल (चौकी प्रभारी राजपूताना)
- हे0का0 सुनील कुमार
- हे0का0 रामयश सिंह
- का0 अमित कुमार
- का0 ब्रजवीर सिंह

**मीडिया सेल फतेहगढ़**

